RCMS
2020/00017

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 34/सन् 2020

शिवभगवान बनाम स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी शिवभगवान पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गुडावडी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 जमाबंदी 2074(वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता खंख्या 567 पुराना खाता संख्या 423 में वादी का पता राजस्व रिकार्ड में गुडावडी तहसील सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। वादी का पता आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सालासर तहसील सुजानगढ है। वादी का पता सालासर तहसील सुजानगढ किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का गुडावडी व तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 जमाबंदी 2074(वर्ष 2018) से स्थायी में वादी का पता गुडावडी है, जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही पता सालासर तहसील सुजानगढ है, जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 जमाबंदी 2074(वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता संख्या 567 पुराना खाता संख्या 423 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	गुडावडी	567/423	शिवभगवान पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी गुडावडी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक जुलियासर	शिवभगवान पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक जुलियासर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested